



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482 008

फोन- 0761-2702615

फैक्स- 0761-2665805

ई-मेल - mppgcl@mp.nic.in

सिन-U40109MP2001SGC014882

वेबसाइट-www.mppgenco.nic.in

क्रमांक-का.नि.(मा.सं.एवंप्र.)/मप्रपाजकलि/उ.स.-एक/5254

जबलपुर, दिनांक 21.11.2015

आदेश

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवंप्र.)/मप्रपाजकलि/स्था./2508-09 दिनांक 30.05.2015 के अनुसार म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् के सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय पेंशन एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर 113 प्रतिशत की दर से महुँगाई राहत स्वीकृत की गई थी ।

02/ मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के निर्णयानुसार, कंपनी से दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को देय पेंशन/परिवार पेंशन एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर, म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-9-2/2015/नियम/चार, दिनांक 06.11.2015 के अनुक्रम में, अग्रिम आदेश तक निम्नानुसार महुँगाई राहत देय होगी-

अवधि जब से देय है	महुँगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-07-2015	पेंशन/परिवार पेंशन का 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत)

03/ महुँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

04/ पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (Before Commutation) की पेंशन पर होगी ।

05/ इस आदेश के अंतर्गत बढ़ी हुई महुँगाई राहत राशि का भुगतान माह नवंबर-2015 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं जुलाई-2015 से अक्टूबर-2015 की अवधि की अंतर (एरियर) राशि का भुगतान चार समान किश्तों में माह नवंबर-2015, दिसम्बर-2015, जनवरी-2016 एवं फरवरी-2016 की देय पेंशन के साथ नगद किया जावेगा ।

आदेशानुसार,

(ए.के. अवस्थी)

कार्यपालक निदेशक(मा.संसा. एवं प्रशा.)

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर

(क्रमशः-2)

क्रमांक-का.नि.(भा.सं.एवंप्र.)/मप्रपाजकंलि/उ.स.-एक/5255 जबलपुर, दिनांक 21.11.2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता-(संचा.संधा.-उत्पा)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (सिविल- अभियांत्रिकी)/ (सी.एस.)/ (संचा.संधा.-जलविद्युत)/ (सामग्री प्रबंधन)/ (नवीनी.एवं आधुनिकी.)/ (परि.-उत्पा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग /संगांताविगृ/सताविगृ/ श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/ बिरसिंहपुर/ सारनी/ खण्डवा ।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
5. कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा एवं प्र), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि./ म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।
6. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
8. अति.मुख्य अभि. (उत्पा.-भंडार)/ (टीएचसी), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर/ सिरमौर ।
9. अति.महाप्रबंधक (मानव संसाधन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या., रायपुर ।
10. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., भोपाल ।
11. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/ (संचा.संधा.), राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/ बाण सागर-दो/तीन/चार/मडीखेडा जविगृ, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., बरगी नगर/तोतलाडोह/चंदेरी /गांधी सागर/सिलपरा/देवलोद/झिन्ना/शिवपुरी ।
12. अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे. एवं अन्वे., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
13. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/अताविगृ/संगांताविगृ/सताविगृ/ श्रीसिंगाजी ताविपरि./ टोंस जविगृ, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर/चचाई/ बिरसिंहपुर/ सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
14. निज सचिव/निज सहायक-संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर ।
15. पेंशन शाखा, कार्या.-कार्य.निदे.(भा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
16. आदेश नस्ती ।

-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(पी.के.चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव

कार्या.-कार्य.निदे.(भा.संसा. एवं प्रशा.)

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर